

फर्जी एफ.एम.जी.ई. प्रमाणपत्र से इंटरशिप और पंजीयन कराने के आरोप में चार और गिरफ्तार

किर्गिस्तान, रूस और कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने वालों ने 27 से 30 लाख रु. देकर बनवाए फर्जी प्रमाण पत्र

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । विदेश से एमबीबीएस करने के बाद फरिन मेडिकल ग्रेजुएट एजायमिशन (एफएमजीई) की स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर इंटरंशिप करने और राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) में पंजीयन कराने के मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में डींग जिले के भारत भूषण शर्मा और शिवम चौधरी तथा भरतपुर जिले के सौरव शर्मा और हिमांशु शर्मा शामिल हैं। एसओजी के अनुसार, आरोपी विदेश से एमबीबीएस करने के बाद निर्धारित परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद उन्होंने दलालों के माध्यम से 27 से 30 लाख रुपए तक देकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवाए और इनके आधार पर राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में इंटरंशिप की।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि मामले की जांच के दौरान अब तक 100 से अधिक विदेशी मेडिकल स्नातकों को विह्वित किया जा चुका है। इनमें ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं, जिन पर परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर इंटरंशिप या पंजीयन कराने का संदेह है। आरएमसी के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा सहित 33 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब चार और गिरफ्तारियों के बाद कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 37 हो गई है।



परीक्षा में असफल रहे तो दलालों से बनवाए प्रमाणपत्र
एसओजी की जांच के अनुसार विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद भारत में चिकित्सा कार्य करने के लिए निर्धारित एफएमजीई स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। आरोप है कि परीक्षा में सफल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों ने दलालों के माध्यम से फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करवाए। इसके बाद राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में इंटरंशिप की और आरएमसी में अस्थायी पंजीयन के लिए आवेदन किया। मामले में मेडिकल काउंसिल के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत की भी जांच की जा रही है।

भारत भूषण शर्मा : 30 लाख रु. देकर बनवाया प्रमाणपत्र
डींग में पुराने बस स्टैंड के पास दाऊजी के मंदिर क्षेत्र निवासी भारत भूषण शर्मा (26) ने वर्ष 2022 में किर्गिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। एसओजी के अनुसार, एफएमजीई परीक्षा कई बार देने के बावजूद सफल नहीं होने पर उसने दौसा निवासी शुभम

गुर्जर के माध्यम से 30 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवाया। इसके आधार पर उसने राजकीय मेडिकल कॉलेज, दौसा में इंटरंशिप की। शुभम गुर्जर इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है।

सौरव शर्मा : रूस से पढ़ाई की, 27 लाख रुपए दिए
भरतपुर जिले के वैर में सीतारामजी के मंदिर के पास रहने वाले सौरव शर्मा (29) ने वर्ष 2017 से 2023 तक रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई की और 2023 में भारत लौटा। आरोप है कि एफएमजीई परीक्षा में सफल नहीं होने पर उसने वैर निवासी गजेन्द्र के माध्यम से 27 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवाया। इसके आधार पर राजकीय मेडिकल कॉलेज, धौलपुर में इंटरंशिप की और आरएमसी में पंजीयन के लिए आवेदन किया।

हिमांशु शर्मा : रिश्तेदार की मदद से बनाया फर्जी प्रमाणपत्र
भरतपुर जिले के हलेना में गांधी चौक के पास रहने वाले हिमांशु शर्मा (26) ने भी वर्ष 2017 से 2023 तक रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। वह सौरव शर्मा का मामा-बुआ

- एसओजी अब तक 37 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी, 100 से अधिक विदेशी मेडिकल स्नातक जांच के दायरे में
- आरएमसी के तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित अधिकारी, कर्मचारी और दलाल भी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार

का बेटा है। एसओजी के अनुसार, एफएमजीई इंटर्राज गुर्जर सहित अन्य दलालों पर विदेश के माध्यम से 27 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवाया। इसके आधार पर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर में इंटरंशिप की और आरएमसी में पंजीयन के लिए आवेदन किया।

शिवम चौधरी : कजाकिस्तान में की थी एमबीबीएस
डींग जिले के पहाड़ी निवासी शिवम चौधरी (28) ने वर्ष 2016 से 2021 तक कजाकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई की और 2021 में भारत लौटा। जांच के अनुसार परीक्षा में सफल नहीं होने पर उसने कजाकिस्तान में छात्रावास चलाने वाले और भारतीय विद्यार्थियों को विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने का काम करने वाले दलाल गजेन्द्र के माध्यम से 30 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवाया। इसके आधार पर राजकीय मेडिकल कॉलेज, अलवर में इंटरंशिप की और आरएमसी में पंजीयन के लिए आवेदन किया।

प्रति अभ्यर्थी 20 से 30 लाख रुपए लेने का आरोप
एसओजी पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के अनुसार, गिरोह के कथित सरगना भानाराम

माली और उसके सहयोगियों शुभम गुर्जर, परीक्षा पास नहीं कर पाने पर उसने भी गजेन्द्र के माध्यम से 27 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने और आरएमसी में पंजीयन कराने के नाम पर प्रति व्यक्ति 20 से 30 लाख रुपए तक वसूलने का आरोप है। एसओजी इस नेटवर्क में प्रमाणपत्र तैयार करने वालों, दलालों और पंजीयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की पड़ताल कर रही है।

गौरतलब है कि इस प्रकरण में पहले राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, यूडीसी अखिलेश माथुर, एलडीसी फरहान हसन, कथित मुख्य आरोपी भानाराम माली और अन्य दलालों सहित विदेश से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी के अनुसार, फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर अस्थायी पंजीयन और इंटरंशिप हासिल करने के मामले में मेडिकल काउंसिल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच जारी है। एसओजी थाना जयपुर में इस संबंध में 4 फरवरी 2026 को प्रकरण दर्ज किया था। एसओजी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े लोगों और पंजीयन प्रक्रिया में गड़बड़ियों की जानकारी जुटा रही है।

जय क्लब में दुर्गा पूजा की धूम

जयपुर । प्रोबासी बंगाली कल्चरल सोसायटी की ओर से सी-स्कीम स्थित जय क्लब लॉन में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में गुरुवार को पंचमी के अवसर पर उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। मां दुर्गा की आराधना के साथ आयोजित सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।



महोत्सव में बंगाली संस्कृति, पारंपरिक खानपान और मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिला। पंचमी के अवसर पर आयोजित आनंदो मेला आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। मेले में महिलाओं ने घरों पर तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के पारंपरिक बंगाली व्यंजनों के स्टॉल लगाए। लोगों ने बंगाल के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखा और बंगाली खानपान की समृद्ध परंपरा का आनंद लिया। मेले में बंगाली संस्कृति और पारिवारिक सहभागिता की खूबसूरत झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में कोलकाता की जादुगर प्रियंका सरकार के मैजिक शो ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया। उनके जादुई करतबों को देखने के लिए लोगों में उत्साह रहा। बच्चों और परिवारों ने जादू की प्रस्तुतियों का आनंद लिया। आनंदो मेला और मैजिक शो ने

पंचमी के आयोजन को यादगार बनाया। अध्यक्ष डॉ. एस.के. सरकार और महासचिव डॉ. राबिन सरकार के नेतृत्व में आयोजित यह दुर्गा पूजा महोत्सव बंगाली संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। महोत्सव के माध्यम से जयपुरवासियों को बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक व्यंजनों और कलात्मक प्रस्तुतियों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है।

सालों बाद नौकरी से अचानक बाहर कर देना जीवन बर्बाद करने जैसा : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2013 की भर्ती में चयनित होकर काम कर रहे सूचना सहायकों को हटाने वाले आदेश 27 मई, 2015 के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि सालों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अचानक नौकरी से बाहर करना उनके जीवन को तबाह करने जैसा है, विशेषकर तब, जब वे सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं। जस्टिस गणेश राम मोणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजाराम व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से निरंतर सेवा में मानने को कहा है।

- अदालत ने साल 2013 की भर्ती में चयनित होकर काम कर रहे सूचना सहायकों को हटाने वाले 27 मई, 2015 के आदेश को निरस्त किया

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिस आंतरिक जांच रिपोर्ट को कार्रवाई का आधार बनाया गया, उसकी प्रति याचिकाकर्ताओं को कभी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अदालत ने कहा कि नियुक्ति के समय याचिकाकर्ताओं की उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष थी। विवाद और न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक चलने के दौरान उनमें से कई कर्मचारी 40 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके थे। इसका सीधा प्रभाव उनके राजगार के भविष्य पर पड़ सकता था, क्योंकि वे अन्य सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। याचिका में अधिवक्ता वीबी शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 25 अप्रैल 2013 को सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ताओं ने मेघालय स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पीजीडीसीए किया था और इसी योग्यता के आधार पर वे चयनित हुए थे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया गया

था। वहीं बाद में विवि की ओर से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री और डिप्लोमा जारी करने की वैधता पर सवाल उठते पर पंचायती राज विभाग ने आंतरिक जांच कराई और 27 मई, 2015 को याचिकाकर्ताओं के चयन को रद्द कर दिया।

याचिका में कहा गया कि आंतरिक जांच रिपोर्ट की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही सूचवाई का मौका दिया गया। ऐसे में उन्हें सेवा से बाहर करने वाले आदेश को निरस्त किया जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि विवि की राजस्थान में अध्ययन केंद्रों के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं थी। इसके आधार पर जांच के बाद उन्हें पद से हटाया गया है।

विद्युत उत्पादों की जांच में 35 हजार रु. जुर्माना लगाया

जयपुर (कासं)। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर अनिवार्य घोषणाओं के नियमों की पालना सुनिश्चित करनेकेलिए उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर 13 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी निरीक्षण अभियान चलाया गया। विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की ओर से चलाए गए अभियान में 109 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। अनियमितताओं पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और छह मामलों में सुधार नोटिस जारी किए गए।

अलवर के बालाजी सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल्स में इंडो हाईटैक एलायंस लिमिटेड की डेयरी मशीन मधानी पर आवश्यक घोषणाएं नियमानुसार नहीं मिलने पर उत्पाद जब्त कर नोटिस जारी किया गया। उदयपुर के शोभापुरा स्थित अमंत्रा प्रतिष्ठान में अमंत्रा इंडिया इलेक्ट्रिक प्रोड्रेक्ट लिमिटेड की स्टाॅट लाइट पर अनिवार्य घोषणाओं में अनियमितता मिलने पर उत्पाद जब्त कर

नोटिस जारी किया गया। टोंक में तीन प्रतिष्ठानों पर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर फॉर कर्ड की घोषणाओं में खामियां सामने आईं। स्मार्ट चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, कामधेनु सॉर्कल में कूल स्टार ब्रांड के उत्पाद पर अनियमितता मिलने पर उसे जब्त कर नोटिस जारी किया गया। बेबी स्टील इलेक्ट्रॉनिक, अमीर गंज बाजार में कूल स्टार ब्रांड और श्री नाथ प्लाजा, पुरानी चुंगी में ऑल मैक्स ब्रांड के इलेक्ट्रिक ब्लेंडर फॉर कर्ड पर भी आवश्यक घोषणाएं निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं मिलीं। विभाग ने निर्माताओं, पेंकर्स और व्यापारियों से विधिक माप विज्ञान संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है। विभाग के अनुसार, उत्पादों पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध होने से उपभोक्ता खरीदारी के समय जागरूक निर्णय ले सकते हैं। ज्ञात रहे कि उपभोक्ता अपने अधिकारों से संबंधित सहायता शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 14435 पर संपर्क कर सकते हैं।

सार-समाचार

‘युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत’



जयपुर । राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी महाविद्यालय में गुरुवार को “मन उत्सव 2026-मानसिक स्वास्थ्य से आत्मविश्वास तक” का आयोजन किया गया। छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवनशैली को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जागरूकता एवं रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. बी.पी. सारस्वत ने कहा कि युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। बेटियां संस्कृति की संवाहक और शक्तिस्वरूपा हैं। मानसिक तनाव और अवसाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय संस्कृति की सामूहिकता, आत्मीयता और परस्पर सहयोग की भावना को अपनाना जरूरी है। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सरिता बड़ोजर ने छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, आत्मरक्षा और महिला सशक्तीकरण पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि छात्राओं की शैक्षणिक विकास के साथ मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाना आवश्यक है। मुख्य वक्ता मनोचिकित्सा केंद्र, जयपुर के प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट डॉ. सुनील शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक सहायता लेने के महत्व पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. नूपुर माथुर ने स्वागत उद्घोषन में संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्राओं के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम संयोजक एवं उप-प्राचार्या डॉ. चन्द्राणी सेन ने बताया कि ‘मन उत्सव’ का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को आत्म-अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास, आनंद और समग्र कल्याण से जोड़ना है। उत्सव के तहत टेजर हंट, फ्लेश मॉब, साइकोड्रामा, एक्सट्रेम्पोर, मानसिक स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी और मार्शल आर्ट्स जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। उद्घाटन सत्र में महारानी महाविद्यालय की पूर्व छात्रा परिषद के दानदालाओं और राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्य संघटक महाविद्यालयों की प्राचार्याओं को सम्मानित किया गया।

“नारी चौपाल” से सशक्तीकरण का संदेश



जयपुर । “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 से 16 अक्टूबर को “नारी चौपाल-सशक्त बालिका-सुरक्षित समाज” सप्ताह मनाया जा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से नगरीय क्षेत्रों में आयोजित इन गतिविधियों का उद्देश्य बालिकाओं एवं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, लैंगिक समानता, बाल विवाह निषेध, शिक्षा और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सप्ताह के दौरान जिला स्तरीय जागरूकता रैलियां निकाली गईं और शपथ दिलाई गई। इनके माध्यम से बालिकाओं के संक्षण, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ तथा बाल विवाह मुक्त भारत का संकल्प लिया गया। जिला मुख्यालयों पर पनाथाघर सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र के सलाहकारों ने विद्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित कीं। इनमें विद्यार्थियों को माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण, तनाव प्रबंधन, परीक्षा के दबाव, अकेलेपन, साथियों के दबाव और सामाजिक माध्यमों के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना सेतु शिविर लगाए गए। इनमें नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिला उद्योग केंद्र और राजीविका की योजनाओं की जानकारी देकर महिलाओं को स्वरोजगार, उद्यम स्थापना, कौशल विकास और आजीविका संवर्धन से जोड़ने के लिए मार्गदर्शन दिया।

सुरेश गुप्ता को चंद दिनों में मिला पट्टा

जयपुर । मकान का पट्टा लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते -लगाते एडियां घिस जाती है। एक के बाद एक नियम बदलते हैं और इन नियमों को फॉलो करने के लिए नए-नए एफिडेविट और अन्य दस्तावेज लगाये जाते हैं, फाइल और आवेदनकर्ता को उम्र बढ़ती रहती है और उम्मीद की उम्र घटती जाती है, लेकिन राज्य सरकार के “सिटिजन-सेंट्रिक गवर्नेंस” में अब बड़ा बदलाव आया है। जयपुर निवासी सुरेश गुप्ता का मालवीय नगर में आवास है। इसका पट्टा लेने के लिए सुरेश गुप्ता ने कुछ ही दिन पहले नगर निगम कार्यालय में सम्पर्क किया। बुधवार को मालवीय नगर जोन में लगे सेवा सेतु अभियान शिविर में उन्हें पट्टा मिल गया। पट्टा मिलते ही सुरेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इसी शिविर में जन्म-मृत्यु पंजीयन के 129 आवेदनों के ही प्रमाण पत्र तत्काल जारी किए गए। जनआधार के 100 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा का 1 प्रकरण निस्तारित किया गया। नाम हस्तान्तरण के 10 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उप विभाजन/पुनर्गठन के 3 प्रकरणों, स्ट्रीट लाइट के 25 प्रकरणों व स्ट्रीट लाईट मरम्मत के 20 प्रकरणों का निस्तारण किया।

विनोद कुमार शर्मा प्रदेश अध्याक्ष निर्वाचित

जयपुर । राजस्थान निजी सहायक संघर्ष महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में विनोद कुमार शर्मा निर्वाचित हुए। गुरुवार को हुए ऑनलाइन मतदान में उन्हें 697 मत मिले। चुनाव अधिकारी एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. आशीष खंडेलवाल ने उन्हें निर्वाचित घोषित किया। प्रदेश के विभिन्न आधोस्थ विभागों में कार्यरत निजी सहायक संघर्ष के करीब 3000 कार्यिकों के महासंघ के चुनाव में विनोद कुमार शर्मा, दयानंद शर्मा और मोतीलाल गुर्जर सहित तीन उम्मीदवार मैदान में थे। कार्यिकों के अलग-अलग जिलों में कार्यरत होने के कारण ऑनलाइन मतदान कराया गया। कुल 3000 सदस्यों में से 1419 ने मतदान के लिए पंजीकरण कराया, जिनमें से 1213 सदस्यों ने वोट डाले। मतगणना में दयानंद शर्मा को 284, मोतीलाल गुर्जर को 292 और विनोद कुमार शर्मा को 697 मत प्राप्त हुए। चुनाव के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन पारीक सहित रवि पारीक, सीपी शर्मा, रवि, अमित, सुरेश मीना, आर्यन मीना, पवन सारस्वत, केबी श्रृंगी, राधेश्याम शर्मा, राजेंद्र मोणा, अरविंद पाटीदार, विनोद (पूर्व जिलाध्यक्ष, टोंक), हेमराज, विजय गुप्ता, हेमंत शर्मा, सर्वेश माथुर, सुधीर शर्मा, अशोक प्रजापत, रचिका, करण सिंह, आदित्य और विक्की सहित सैकड़ों साथियों ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी।

दिनदहाड़े मेट्रो पिलर पर चढ़ा युवक

जयपुर । सोडाला थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब 1:20 बजे मेट्रो पिलर पर एक युवक के चढ़ने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की सशक्तवत के बाद दमकलकर्मियों ने पिलर पर सीढ़ी लगाकर युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। युवक को नीचे उतारने के लिए सिविल डिफेंस की टीम को भी रवाना किया गया था, लेकिन इससे पहले ही अग्निशमन विभाग ने बचाव अभियान पूरा कर लिया। बाद में दमकलकर्मियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। थानाधिकारी मनोज बेरवाल ने बताया कि युवक की पहचान संजू तोकुराम पोसर के रूप में हुई है। वह मूल रूप से महाराष्ट्र के गढ़चिरोली का निवासी है और जयपुर में खानाबंदोश के रूप में रह रहा है। उसे थाने लाकर पूछताछ की जा रही है।

भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करना गंभीर : हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एसबीआई के अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एसीबी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करना गंभीर है। इससे लगता है कि एसीबी ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। वहीं अदालत ने एसबीआई के उप महा प्रबंधक व मुख्य प्रबन्धक-एचआर के खिलाफ रिश्तव से जुड़े मामले को एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश विवेक शर्मा को याचिका पर दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि एसीबी के महानिदेशक ने मामले में एफआईआर की बजाय प्रारंभिक शिकायत ही दर्ज करने का निर्देश दिया, जबकि मामले में मांग सत्यापन व ट्रेप कार्यवाही के बाद एसीबी को एफआईआर दर्ज करना जरूरी था। एसीबी ने प्रारंभिक सत्यापन के बाद एफआईआर दर्ज कर नियमित जांच की बजाय मामला बंद करने का प्रयास

किया, जिससे लगता है कि एसीबी ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया। याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि याचिकाकर्ता एसबीआई में मुख्य प्रबंधक के पद पर था। उसने भिवाड़ी ब्रांच में कार्यरत रहते हुए 51 लाख रुपए के फर्जी हाउसिंग लोन की अनियमितता का मामला उजागर किया। मामला उजागर करने पर बैंक के अफसरों ने उसे प्रताड़ित किया और उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं बाद में उस पर लगाए आरोप खत्म करने के लिए 40 लाख रुपए की रिश्तव मांगी। उसकी नवंबर 2022 को की गई शिकायत में एसीबी ने रिश्तव की मांग का सत्यापन कर बैंक के अफसरों के खिलाफ ट्रेप कार्रवाई कर रकम बरागद की। इसके बावजूद मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की और प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी अफसरों को क्लीन चिट देकर याचिकाकर्ता के खिलाफ ही झूठी शिकायत देने पर कार्रवाई शुरू कर दी।

विधानसभा में अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम

जयपुर (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, आधुनिक एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम का रिमोट से बटन दबाकर उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि लोकसभा सचिवालय की तर्ज पर राजस्थान विधान सभा में स्थापित इस प्रणाली से विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों की सुरक्षा जांच आसानी से हो सकेगी। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में भी यह उपयोगी सिद्ध होगी। श्री देवनानी ने बताया कि बूम बैरियर से संचालित इस व्यवस्था में एक करोड़ 6 लाख रूपये की राशि व्यय हुई है। यह व्यवस्था विधान सभा के द्वारा संख्या 6, 7 और 8 पर संचालित की गई है। स्पीकर देवनानी ने बताया कि विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, आगंतुकों एवं अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दृष्टि से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए वाहन जांच व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया गया है। यह एक



आधुनिक वाहननिरीक्षण प्रणाली है, जिसके माध्यम से किसी वाहन के निचले हिस्सों की तस्वीरें भी ली जा सकती है। सामान्य रूप से वाहन के नीचे का हिस्सा सीधे देखने में कठिनाई होती है, लेकिन इस तकनीक की सहायता से वाहन के निचले भाग का स्पष्ट दृश्य प्राप्त किया जा सकता है। देवनानी ने बताया है कि इस प्रणाली में विशेष कैमरे, इमेज कैचर करने वाले उपकरण, प्रकाश व्यवस्था, इमेज डिप्ले स्क्रीन तथा तस्वीरों को देखने और उनका विश्लेषण करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।